राजस्थान सरकार

निदेशालय गोपालन

पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर–302015

Phone. 0141-2740819,2740519, 2744229 (T/F) 2740613, e-mail :- dir.dgs@rajasthan.gov.in

क्रमांक– एफ.वी. 3( )/निगो/गौपंनसु/आर.के.वी.वाई./2016/PA/1394-1427 दिनांक 15.12.2016

समस्त जिला संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग, राजस्थान।

विषय :– आर.के.वी.वाई. के अन्तर्गत सांड पंजीकरण एवं बधियाकरण योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय गोपालन के द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित पत्र क्रमांक एफ.वी. 3( )/निगो/गौपंनसु/आर.के.वी.वाई./2016/4517–57 दिनांक 10.08.2016, समसंख्यक पत्र दिनांक 26.10.2016 तथा 23.11.2016 की ओर आकर्षित कर लेख है कि योजनान्तर्गत समस्त जिलों को राशि का आवंटन दिनांक 28.10.2016 को किया जा चुका है तथा योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशालय गोपालन के पत्र क्रमांक 4517–57 दिनांक 10.08.2016 द्वारा पूर्व में ही आपको भिजवाये जा चुके है।

जैसा कि आपको ज्ञात है उक्त योजना के अन्तर्गत परिशिष्ठ–1 में प्रजनन सांड पंजीकरण, परिशिष्ठ–2 में गौशाला द्वारा संधारित प्रजनन सांड पंजीकरण पंजिका प्रपत्र–3 में प्रजनन सांड पंजीकरण, प्रपत्र–4 में बधियाकरण तथा प्रपत्र–5 में प्रजनन जनित रोगों की जांच से सम्बन्धित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक रिपोर्ट निदेशालय गोपालन को भिजवानी होती है।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 की प्रगति तथा वर्ष 2016–17 में दिनांक 15.12.2016 तक की प्रगति की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि :–

1. वर्ष 2015–16 में नागौर, बाडमेर, उदयपुर एवं राजसमन्द जिलों द्वारा एक भी प्रजनन सांड का पंजीकरण नहीं किया है तथा जैसलमेर, जालौर द्वारा निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम पंजीकरण किया गया है।
2. वर्ष 2015–16 में नागौर तथा बाडमेर जिलों की बधियाकरण की प्रगति शून्य है तथा दौसा, जालौर, जैसलमेर, बीकानेर की प्रगति लक्ष्य से काफी कम है।
3. वर्ष 2016 –17 में आज दिनांक तक किसी भी जिले के द्वारा प्रपत्र–3 व 4 में प्रगति की सूचना निदेशालय गोपालन को नहीं भिजवाई गई है।

अतः आपका ध्यान पुनः आकर्षित कर लेख है कि नस्ल संवर्धन एवं स्वदेशी नस्लों के उन्नयन की दृष्टि से योजना के उद्देश्य एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए **कृपया निर्धारित लक्ष्यों की समय पर पालना सुनिश्चित करे तथा प्रपत्र–3 व 4 में निर्धारित अवधि को मासिक प्रगति प्रतिवेदन भिजवावे। प्रपत्र–3 व 4 के साथ संलग्न प्रपत्र–6 व 7 में लाभान्वितों की सूची भी मासिक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे ताकि निदेशालय स्तर से भी सत्यापन कराया जा सके।**

संलग्न :– (1) योजना की मार्गदर्शिका।
(2) प्रपत्र–6 व 7.

निदेशक

क्रमांक– एफ.वी. 3( )/निगो/गौपंनसु/आर.के.वी.वाई./2016/ दिनांक 15.12.2016

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. शासन उप सचिव, पशुपालन/गोपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर को देकर लेख है कि वर्ष 2015–16 में पंजीकरण एवं बधियाकरण में शून्य प्रगति वाले जिला संयुक्त निदेशकों से स्पष्टीकरण लिया जाकर अपनी टिप्पणी के साथ प्रतिवेदन निदेशालय को भिजवावे ताकि शासन को कारणों से अवगत कराया जा सके।
3. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सम्भाग के जिलों की समीक्षा आपके स्तर पर भी समय–समय पर करावे तथा योजना में लक्ष्यानुसार प्रगति के प्रयास किये जावे।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, राज्य/क्षेत्रीय रोग निदान केन्द्र, पशुपालन विभाग।

निदेशक